

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3808
16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : फसल और सब्जियों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

3808. श्रीमती प्रतिमा भौमिक:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 2014-15 से गत 5 वर्षों के दौरान सात उत्तर-पूर्वी राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम में होने वाली वर्षा में कोई कमी आई है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त संकट से निपटने के लिए इन राज्यों की सरकारों ने क्या उपाय किए हैं;
- (ग) सात उत्तर-पूर्वी राज्यों में खाद्य फसलों और फलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना करने के लिए राज्य-वार क्या कार्ययोजना बनाई गई है; और
- (घ) जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए बनाई गई उक्त कार्य योजना सात उत्तर-पूर्वी राज्यों के किसानों को किस प्रकार से लाभान्वित करेगी?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) : आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014-15 से लेकर 2017-18 तक पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा तथा मिजोरम में वर्षा के समूचे रूझान में सुधार हुआ है। वर्ष 2018-19 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा में थोड़ी कमी देखी गई है। हालांकि, पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले 5 वर्षों के दौरान वर्षा में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। 5 वर्षों अर्थात् वर्ष 2014-15 से लेकर 2018-19 तक के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष-वार वास्तविक वर्षा के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

वर्ष	वर्षा (मि.मी. में)
2014-15	14030.90
2015-16	15901.90
2016-17	15496.60
2017-18	20310.60
2018-19	14285.10

(ख) और (ग) : पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा एवं मिजोरम में शेष भारत की तुलना में अधिक वर्षा हुई है जो फसल उत्पादन के क्रियाकलापों को शुरू करने हेतु पर्याप्त है। हालांकि मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)/राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) के परामर्श से राज्यों द्वारा अपनाई गई उचित फसल विधि किसानों को मिलने वाले लाभों

के लिए उत्तरदायी है। फसल व किस्मों के चयन सतत कृषि के लिए मौसम विचलन के परिप्रेक्ष्य में उच्च मिश्रित वर्षा फसल उत्पादन प्रणाली में उपयुक्त माने जाते हैं। आईसीएआर-केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), हैदराबाद ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के समन्वय से देश के पूर्वोत्तर राज्यों के 91 जिलों के लिए एक फसल आकस्मिकता योजना तैयार की है ताकि मौसम में किसी भी प्रकार के अचानक परिवर्तन की स्थिति में लगातार कृषि उत्पादन किया जा सके। इसके अलावा, विभिन्न मंत्रालयों के विभाग प्रत्येक सप्ताह में बैठक कर रहे हैं ताकि राज्यों में फसल की बुवाई की प्रगति, फसल स्थिति, वर्षा स्थिति, जल भंडारण की स्थिति और इनपुट की समीक्षा की जा सके। फसल मौसम निगरानी रिपोर्ट के आधार पर आकस्मिक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिकाएं जारी की जा रही हैं। इसके अलावा, एम-किसान पोर्टल के माध्यम से एसएमएस द्वारा पंजीकृत किसानों को मौसम आधारित परामर्शिका भेजने का भी एक सिस्टम है।

राज्यों में प्रतिकूल जलवायु संबंधी परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार की पहलें

1. सूखे के प्रति सहिष्णु/दबाव सहिष्णु किस्मों के प्रमाणित बीजों के वितरण के लिए प्रोत्साहन।
2. दबाव सहिष्णु किस्मों, सीधे रूप से बोये जाने वाले चावल के बीज की प्रौद्योगिकियों, चावल गहनता तकनीक प्रणाली आदि से संबंधित क्लस्टर प्रदर्शन।
3. सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक फसलों और किस्मों को लोकप्रिय बनाना।
4. स्प्रिंकलर, पंपसेट, रेनगन आदि जैसे जल संचयन उपकरणों के लिए प्रोत्साहन।
5. सिंचाई जल के संरक्षण और कुशल उपयोग के लिए सभी प्रकार के पानी ले जाने वाले पाइपों के लिए प्रोत्साहन।
6. जीरो टिलेज, हैप्पी सीडर और संसाधन संरक्षण मशीनरियों/उपकरणों आदि के लिए प्रोत्साहन।
7. दलहन एवं पोषक अनाजों के लिए चावल परती भूमि में मौजूद आद्रता का कुशल उपयोग और कुशल सिंचाई प्रणाली द्वारा इसका ईष्टतम उपयोग।

(घ) : आकस्मिकता योजनाओं के अनुप्रयोग से किसान प्रतिकूल जलवायु संबंधी परिस्थितियों के कारण होने वाले फसल नुकसान को कम कर सकते हैं। सरकार ने उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनःसंरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) की शुरुआत खरीफ 2016 से की है ताकि किसानों को किसानों की आय को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रतिकूल जलवायु संबंधी परिवर्तनों के कारण फसल नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता दी जा सके। पीएमएफबीवाई संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित खाद्य फसलों और बागवानी फसलों की बुआई पूर्व से फसलोपरांत फसल नुकसान के विरुद्ध व्यापक जोखिम बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। फसल मौसम के दौरान प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के मामले में बीमित किसानों को तत्काल राहत भी प्रदान की जाती है, जिसके कारण संबंधित बीमा इकाई में फसल-मौसम के दौरान अपेक्षित उपज, थ्रेशोल्ड उपज की 50% से कम होने की संभावना होती है। इसके अलावा, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के घटने पर राज्य सरकार, राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से आवश्यक राहत उपाय शुरू करने के लिए सशक्त होते हैं। यह कोष उनके पास पहले से उपलब्ध होता है। एसडीआरएफ के अलावा राज्य सरकार से प्राप्त जापन के संबंध में और मानदण्डों व प्रक्रिया के अनुरूप राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जाता है।
